न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 60/2017

उनवान

1. उमराव पुत्र ईशरा, उम्र करीब 68 वर्ष तहसील
2. अशोक पुत्र शिम्भुदयाल, उम्र करीब 51 वर्ष
3. कमला देव पुत्री शिम्भूदयाल, उम्र करीब 55 वर्ष
4. मंजू देवी पुत्री शिम्भूदयाल, उम्र करीब 48 वर्ष
5. सावित्री देवी पत्नी शिम्भूदयाल, उम्र करीब 76 वर्ष
6. राजेश पुत्र शिम्भूदयाल, उम्र करीब 53 वर्ष समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डोलाका बास, तहसील चौमें, जिला जयपुर राज.।

बनाम

1. गिरधारी पुत्र मांगू
2. जगदीश पुत्र मांगू
3. रमेश कुमार पुत्र मांगू
4. रामवतार पुत्र मांगू
5. महेश पुत्र प्रभात
6. सुरेश पुत्र प्रभात
7. रामचन्द्र पुत्र जयराम
8. सन्तरा पुत्री मांगू माता भूरी
9. विमला पुत्री मांगू माता भूरी
10. बनवारी पुत्र रामेश्वर
11. सीताराम पुत्र रामेश्वर
12. बंशीधर पुत्र घीसाराम
13. मालीराम पुत्र घीसाराम
14. रामवतार पुत्र घीसाराम
15. रामसिंह पुत्र घीसराम
16. सायरसिंह पुत्र घीसाराम
17. मंगेज पुत्र सुल्तान
18. लक्ष्मी देवी पुत्री घीसाराम
19. सजना पत्नी रामपाल
20. पार्वती पुत्री रामपाल
21. निर्मला पुत्री रामपाल
22. रोहिताश पुत्र रामपाल
23. शशीधर पुत्र रामपाल
24. श्रवण कुमार पुत्र रामपाल
25. सुभाष पुत्र रामपाल

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

26. मनोज पुत्र रामपाल
27. नत्थूराम पुत्र ग्यारसीलाल
28. पांचूराम पुत्र ग्यारसीलाल
29. बजरंग पुत्र ग्यारसीलाल
30. बलवीर पुत्र ग्यारसीलाल
31. मिश्री पत्नी ग्यारसीलाल
32. राजू पुत्र ग्यारसीलाल
33. सुणी पुत्री ग्यारसीलाल
34. संतोष पुत्री ग्यारसीलाल
35. किरण पुत्री महावीर
36. घनश्याम पुत्र महावीर
37. भगवती पत्नी महावीर
38. सन्तरा पत्नी मूलचन्द
39. नींबू पुत्री मूलचन्द
40. किरण पुत्री मूलचन्द
41. राजेश पुत्र मूलचन्द
42. दीपक पुत्र मूलचन्द
43. अशोक पुत्र रामप्रताप
44. झाबरमल पुत्र रामप्रताप
45. रामजीलाल पुत्र रामप्रताप
46. सायरमल पुत्र रामप्रताप
47. कमली देवी पत्नी रामप्रताप
48. कैलाश पुत्र हनुमान
49. गोकुल पुत्र हनुमान
50. गौरीशंकर पुत्र हनुमान
51. मोहनलाल पुत्र हनुमान
52. रामकिशोर पुत्र हनुमान
53. हरफूल पुत्र हनुमान
54. बाबूलाल पुत्र मालीराम समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डोलाकाबास, तहसील चौमॅं जिला जयपुर (राज.)
55. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूॅ जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांक:— 20.11.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम कानरपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 13 के हाल खसरा नम्बर 136 रकबा 0.87 हैक्ट., खसरा न. 137 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 खसरा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.08 हैक्टेयरखसरा नम्बर 158 / 898 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 1.62 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर, प्रार्थी की भूमि निहित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनाक 26.06.2019 को श्रीमान तहसीलदार चौमू के आदेश क्रमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/2019/2406 दिनांक 14.06.2019 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 280,289,269,280,271,142,162 में स्थित गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 136, 137, 138, 139, 158/898 एंव 274 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 54 प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी खातेदार व्यक्ति हैं, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 54 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 26.06.2019 को पटवारी हल्का डोला का बास द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.28 16:46:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: